

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा

स्कूल छोड़ने वालों की पढ़ाई फिर शुरू कराएगी सरकार: मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री यादव ने कहा है कि समाट विक्रमादित्य की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाये। गुरु सादीपनि के जीवन पर भी रोचक पुस्तक तैयार की जाए। स्कूली शिक्षा में कक्षा 8 से 12 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौशल को कैसे जोड़ा जाए, इस पर भी एक कार्य योजना तैयार की जाए। निजी विद्यालय खोलने के लिए सामाजिक संस्थाओं और संगठनों को प्रोत्साहन दिया जाए। अतिथि शिक्षकों की मर्ती प्रक्रिया एक जुलाई से पहले पूरी कर ली जाए। सत्र प्रारंभ होने से पहले स्कूलों में सभी पूर्व तैयारियां कर ली जाएं। प्रदेश की सभी आंशिक जीर्ण-शीर्ण शालाओं की तत्काल मरम्मत करा ली जाए। सभी स्कूलों में बाउण्ड्री वॉल्स बनाई जाए। एक जुलाई से गुरु पूर्णिमा तक शिक्षक वंदना कार्यक्रम, अभिभावकों एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में आयोजित किया जाए।



एमपी में मप्र राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय बनेगा: मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा भी जल्द शुरू होगी

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना शीघ्र शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस योजना में 1164 मार्गों पर दो साल में 5206 बसें शुरू करने की तैयारी है। उधर प्रदेश में सड़क सुरक्षा सचिवालय का गठन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में सर्वाधिक दुर्घटना क्षेत्रों की मैपिंग करा ली जाए, जिससे जरूरतमंदों को जल्द से जल्द मेडिकल सर्विसेस मुहैया कराई जा सकें। यह जानकारी परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में सामने आई है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की सीमा में अन्य राज्यों से आने वाले मालवाहक वाहनों की जांच के लिए परिवहन चौकियों और टोल नाकों को और अधिक आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न बनाया जाए। इसके लिए परिवहन चौकियों को शीघ्र ही इंटीग्रेटेड करने के प्रयास किए जाएं।

स्कूलों में होंगे पूर्व छात्र सम्मेलन

मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार सांदीपनि विद्यालय जैसी अत्याधुनिक शालाओं में शिक्षा देकर प्रदेश की एक मजबूत नींव तैयार कर रही है। प्रदेश के हर विद्यार्थी तक बेहतरीन शैक्षणिक सुविधाएं और संसाधन समय पर पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विभागीय गतिविधियों में तेजी लाएं और 16 जून से प्रारंभ हो रहे शैक्षणिक सत्र से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में पूर्व छात्र-छात्रा सम्मेलन कराए जाएं, ताकि ऐसे विद्यार्थी जो अपने विद्यालय से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, वे उस विद्यालय के विकास-विस्तार में कुछ योगदान भी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की शालाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाए। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी कक्षाओं में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं अन्य रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का भी अध्ययन कराया जाए। व्यावसायिक प्रशिक्षण को दृष्टिगत रखते हुए संभव हो तो क्षेत्रीय स्व-सहायता समूहों को भी ऐसी शालाओं और विद्यार्थियों से जोड़ा जाए।

यातायात व्यवस्थाएं सुचारु रखने जनहित में लिए गए अहम फैसले, जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ब्लैक स्पॉट, ऑटो स्टैंड, भारी वाहनों और सड़क सुरक्षा पर विस्तृत चर्चा

विदिशा। प्रभारी कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक कलेक्टर के बेतवा सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिले की यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर अनेक जनहितैषी निर्णय लिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी कलेक्टर श्री डामोर ने कहा कि जिले में यातायात व्यवस्थाएं निविघ्न एवं सुचारु रूप से संचालित हों, यही प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों एवं लिए गए निर्णयों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की। विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी बैठक

में प्रस्तुत की गई। प्रभारी कलेक्टर ने विशेष रूप से सड़कों पर विचरण करने वाले मवेशियों की समस्या को गंभीर बताते हुए निर्देश दिए कि राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर पशुओं की आवाजाही रोकने के लिए ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए हाईवे किनारे स्थित ग्रामों में शासकीय भूमि चिन्हित कर पशु शेड निर्माण की कार्यवाही संबंधित निर्माण एजेंसियों एवं विभागों को सौंपने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि विदिशा नगर के प्रमुख चौराहों एवं तिराहों पर ऑटो-रिक्शा स्टैंड के लिए स्थलों का चिन्हांकन किया जा रहा है। वहीं नगर पालिका द्वारा शहर में संचालित सब्जी एवं हाथ टेला विक्रेताओं का सर्वे कराया गया, जिसमें 1258 टेला विक्रेताओं की जानकारी दर्ज

की गई है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही के तहत रात्रिकालीन समय में भूसा परिवहन करने वाले 170 वाहनों के चालान बनाए गए हैं। प्रभारी कलेक्टर ने निर्देश दिए कि परिवहन नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों एवं भूसा व्यापारियों के लाइसेंस निलंबन संबंधी कार्यवाही का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। बैठक में जिले के कुआंखेड़ी एवं महलुआ चौराहा को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किए जाने की जानकारी भी दी गई। इन स्थलों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत चौबे ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए लोगों को जागरूक करना आवश्यक है।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हरई की बैठक संपन्न

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हरई की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्र की जनसमस्याओं एवं विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि दिनांक 21/05/2026, दिन गुरुवार को विधायक प्रत्याशी श्री धीरन शाह इनवाती जी के नेतृत्व में तहसील कार्यालय हरई में ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में प्रमुख मांगें इस प्रकार रहेंगी -

- * जनपद पंचायत हरई के 50 से अधिक ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हुए भ्रष्टाचार की जांच की जाए।
- * गांवों में टूटी पड़ी पाइप लाइन, बंद पड़े ट्रांसफार्मर, खराब मोटर एवं बंद पानी की टंकियों को तत्काल चालू कराया जाए।
- * गांव-गांव में हो रही अवैध शराब बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए।
- * मनरेगा मजदूरों का लंबित भुगतान शीघ्र कराया जाए।

बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, कार्यकर्ता एवं ग्रामीणजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी जनता की समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष करती रहेगी।



अध्यक्ष के प्रति पारित हुआ अविश्वास प्रस्ताव

12 सदस्यों ने मोर्चा खोलकर कलेक्टर को सौंपी आधिकारिक सूचना, नियम-कानूनों की व्याख्या भी आई सामने

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के भीतर एक बड़ा सियासी और प्रशासनिक भूचाल आ गया है। जनपद पंचायत अनूपपुर के वर्तमान अध्यक्ष के 'तानाशाही' रवैये और विकास कार्यों में कथित अरुचि से तंग आकर कुल 12 निर्वाचित सदस्यों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। नोटरीकृत गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर हस्ताक्षरित कानूनी दस्तावेज के साथ, इन बागी सदस्यों ने विहित प्राधिकारी सह कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव की आधिकारिक सूचना सौंप दी है। अध्यक्ष पर मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के उल्लंघन और मनमाने ढंग से बैठकें आयोजित करने के गंभीर आरोप लगाते हुए विपक्ष ने उन्हें पद से हटाने की कानूनी प्रक्रिया तेज कर दी है। इस राजनीतिक उठापटक और 'मध्य प्रदेश जनपद पंचायत नियम 1994' के कानूनी दांव-पेंचों के बीच, अब वर्तमान अध्यक्ष की कुर्सी पर संकट के गहरे बादल मंडराने लगे हैं।

राजनीतिक हलचल और आधिकारिक शुरुआत: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से एक बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आ रही है, जहाँ जनपद पंचायत अनूपपुर के वर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में जनपद पंचायत के कुल 12 निर्वाचित सदस्यों ने लामबंद होकर एक हस्ताक्षरित एवं विधिवत नोटरीकृत आवेदन मध्य प्रदेश शासन के विहित प्राधिकारी सह कलेक्टर, जिला अनूपपुर को प्रेषित किया है। इस कदम के बाद क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्भियां बेहद तेज हो गई हैं और वर्तमान नेतृत्व पर संकट के गहरे बादल मंडराने लगे हैं।

दस्तावेज का वैधानिक विवरण

प्रास आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, यह पूरी कवायद 11 मई 2026 को निष्पादित की गई थी, जिसमें 750 मूल्य के गैर-न्यायिक (हथट्ट-हथकड़-हथकड़) स्टांप पेपर पर अविश्वास प्रस्ताव की सूचना तैयार की गई। इस दस्तावेज को नोटरी पब्लिक पी.के. पटेल द्वारा बकायदा सत्यापित और पंजीकृत किया गया है, जिसका सीरियल नंबर 1964 अंकित है। बागी सदस्यों का नेतृत्व जनपद सदस्य केशरदास महारा कर रहे हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम इस आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर अध्यक्ष के खिलाफ असंतोष का बिगुल फूका।

विकास कार्यों में अरुचि का पहला गंभीर आरोप: विपक्ष में उतरे सदस्यों ने वर्तमान जनपद पंचायत अध्यक्ष पर बेहद गंभीर और प्रशासनिक विफलता से जुड़े आरोप लगाए हैं। अविश्वास प्रस्ताव के मुख्य आधार के रूप में कुल चार प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया गया है। सदस्यों का सबसे पहला और बड़ा आरोप यह है कि वर्तमान अध्यक्ष द्वारा जनहित के विकास कार्यों में कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिससे पूरे क्षेत्र का विकास ठप पड़ गया है और ग्रामीण जनता में जनप्रतिनिधियों के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है।

मनमाने रवैये और लोकतांत्रिक उल्लंघन की शिकायत: इसके अलावा, आवेदन में दूसरे बिंदु के रूप में यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि अध्यक्ष द्वारा पूरी तरह से मनमाने तरीके से बैठकों का एजेंडा स्वयं तय कर जारी किया जाता है। नियमानुसार, लोकतांत्रिक संस्थाओं में सभी सदस्यों के प्रस्तावों और उनकी क्षेत्रीय समस्याओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, परंतु वर्तमान अध्यक्ष द्वारा अन्य निर्वाचित सदस्यों के किसी भी प्रस्ताव को बैठक की कार्यसूची में शामिल नहीं किया



जा रहा है, जो कि सीधे तौर पर तानाशाही रवैये को दर्शाता है।

पंचायती राज अधिनियम के उल्लंघन का मामला: विद्रोही सदस्यों ने कानूनी और वैधानिक उल्लंघन का मुद्दा उठाते हुए तीसरे बिंदु में कहा है कि अध्यक्ष द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण स्थायी समितियों के सदस्यों के गठन की प्रक्रिया चुनाव के माध्यम से आज दिनांक तक पूरी नहीं की गई है। सदस्यों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि यह कृत्य 'मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम' के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। इस वैधानिक विफलता के कारण पंचायत की आंतरिक प्रशासनिक समितियां पूरी तरह निष्क्रिय पड़ी हुई हैं। असंतोषजनक कार्य व्यवहार और हस्ताक्षरकर्ता सदस्य अंतिम बिंदु में सभी सदस्यों ने सामूहिक रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान अध्यक्ष का कार्य व्यवहार और आचरण किसी भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से संतोषजनक नहीं है। इस संयुक्त आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले 12 प्रमुख सदस्यों में केशरदास महारा (वार्ड क्र. 01), लालबहादुर साहू, राघवेंद्र प्रताप सिंह (वार्ड क्र. 07), दुर्गा पटेल (वार्ड क्र. 05), उषा सिंह सरति (वार्ड क्र. 10), कमला सिंह, लालबहादुर सिंह मार्को (वार्ड क्र. 06), मालती गुप्ता (वार्ड क्र. 02), राधा सिंह (वार्ड क्र. 12), उर्मिला पाव (वार्ड क्र. 08), यशोदा सिंह और

तेजभान सिंह (वार्ड क्र. 09) शामिल हैं। नियम 1994 और एक-तिहाई बहुमत की वैधानिक शर्त इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू भी जुड़ा हुआ है, जो 'मध्य प्रदेश जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्थायी (समितियों के गठन, शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1994' के नियम 3 के तहत संचालित होता है। इस नियम के उपनियम (1) के अनुसार, यदि निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के इच्छुक हैं, तो वे विहित प्राधिकारी (कलेक्टर) को इसकी लिखित सूचना देंगे। हालांकि, इसके लिए अनिवार्य शर्त यह है कि ऐसी सूचना संबंधित पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई (1/3) सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए, जिसे इस मामले में 12 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ आसानी से पूरा कर लिया गया है।

कलेक्टर की विधिक प्रक्रिया और समय सीमा: विहित कानूनी नियमों के तहत, जैसे ही सक्षम प्राधिकारी यानी कलेक्टर को यह सूचना प्राप्त होती है, उपनियम (2) के अनुसार वे इस पर एक पावती या प्रमाण-पत्र जारी करते हैं, जिसमें सूचना प्राप्ति की तारीख और सटीक समय दर्ज किया जाता है। इसके पश्चात, उपनियम (3) के अंतर्गत कलेक्टर इस सूचना की प्रासंगिकता और ग्राह्यता के संबंध में अपना विधिक समाधान करते

हैं। समाधान होने के बाद, वे जनपद पंचायत के सम्मेलन (विशेष बैठक) के लिए एक निश्चित तारीख, समय और स्थान नियत करते हैं, जो उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

न्यायशास्त्र का सिद्धांत और समय-सीमा पर न्यायिक टिप्पणी इस कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण न्यायिक टिप्पणी और विधिक सिद्धांत भी प्रतियों में संलग्न है। नियम 3(3) की व्याख्या के संदर्भ में स्थापित न्यायशास्त्र का सिद्धांत कहता है कि भले ही नियम में कलेक्टर के लिए 15 दिनों के भीतर बैठक आयोजित करने की बाध्यता बताई गई है, लेकिन कानून में इसके उल्लंघन पर किसी दंडात्मक या प्रस्ताव को शून्य करने वाले परिणाम का उल्लेख नहीं है। अतः, इसे हमेशा पूर्णतः अनिवार्य नहीं माना जा सकता, जब तक कि नियम स्वयं इसके पालन न होने पर अविश्वास प्रस्ताव को स्वतः रद्द करने का प्रावधान न करता हो।

प्रक्रियात्मक त्रुटि का प्रस्ताव की वैधता पर प्रभाव

अदालती दृष्टांतों और विधिक टिप्पणियों के अनुसार, यदि कलेक्टर द्वारा किसी अपरिहार्य प्रशासनिक व्यस्तता के कारण निर्धारित 15 दिनों की अवधि के बाद भी अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए विशेष बैठक बुलाई जाती है, तो केवल इस प्रक्रियात्मक त्रुटि के आधार पर पूरे अविश्वास प्रस्ताव को अवैध या शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। यदि प्रस्ताव को आगामी बैठक में आवश्यक और पर्याप्त बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया सर्वोपरि मानी जाएगी और तकनीकी देरी अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी। अब पूरे जिले की नजरें अनूपपुर जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि इस पर आगामी बैठक की तिथि कब घोषित की जाएगी

किसानों को दी जा रही है आधुनिक खेती और विभागीय योजनाओं की जानकारी

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

किसान कल्याण वर्ष 2026 अंतर्गत जिले के किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों और शासन की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विकासखंड अनूपपुर के ग्राम पंचायत लामाटोला, परासी, रेउला तथा विकासखण्ड जैतहरी के ग्राम पंचायत कुकुरगोडा सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों में 'कृषि रथ' तथा 'किसान चौपाल' का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष अभियान का मुख्य ध्येय ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक कृषि पद्धतियों का प्रचार-प्रसार करना और किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफे की खेती के लिए प्रेरित करना है। 'कृषि रथ' के माध्यम से शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और आधुनिक कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान (Subsidy) का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रचार सामग्री और व्यावहारिक संवाद के



माध्यम से किसानों की शंकाओं का मौके पर ही समाधान भी किया जा रहा है, ताकि वे समय रहते इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकें। 'किसान चौपाल' में कृषि विशेषज्ञों द्वारा कृषकों को आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों के संबंध में महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारियां दी जा रही हैं। अधिकारियों द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए

मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) के अनुसार संतुलित उर्वरकों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही, रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग को कम करने के लिए किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने, बीज उपचार (Seed Treatment) करने तथा कतारबद्ध बोनी पद्धतियों को व्यावहारिक रूप से समझने की सलाह दी जा रही है।



चांजर -दार अउ धनिया -मिरचा,

दवा-दारू आनलाईन बेचात हे।

बंद करो सब दुकान,बजार ला,

जब घर बइठे समान आत हे।।

दुकान मालिक मन बड़े कंपनी मा,

जाके डिलिवरी बाँय बन जाओ।

अमरित काल हा आगे सुघर,

अंधभक्त मन खुसी मनाओ।।

लक्ष्मी नारायण कुम्भकार -सचेत- दुर्ग (छ0ग0)

तेंदूपत्ता संग्रहण में मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने वन विभाग की अनूठी पहल सुरक्षा संदेश युक्त मास्क दिये गये

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण सीजन के दौरान संग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष (ह्युमन वाइल्डलाइफ कॉन्फ्लिक्ट) की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से विशेष जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्राहकों के बीच सुरक्षा संदेशों से मुद्रित मास्क वितरित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से जंगल में सुरक्षित व्यवहार एवं आवश्यक

सावधानियों की जानकारी दी जा रही है। वन विभाग द्वारा बताया गया कि तेंदूपत्ता संग्रहण के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं वनाश्रित परिवार जंगल क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। ऐसे समय में हिंसक वन्यप्राणियों की गतिविधियों वाले क्षेत्रों में सतर्कता अत्यंत आवश्यक होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा सुरक्षा संबंधी संदेशों को सरल एवं प्रभावी तरीके से जन-जन तक पहुंचाने के लिए यह अभिनव पहल की गई है। वन विभाग द्वारा मास्क पर अंकित संदेशों के माध्यम से संग्राहकों को समूह में जाकर तेंदूपत्ता



संग्रहण करने, सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद जंगल में प्रवेश न करने, किसी क्षेत्र में हिंसक वन्यप्राणी की उपस्थिति दिखाई देने पर तत्काल विभाग को सूचना

देने तथा अत्यधिक घने एवं संवेदनशील वन क्षेत्रों में संग्रहण से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही संग्रहण कार्य में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील भी की गई है। वन विभाग के मैदानी अमले द्वारा गांवों एवं संग्रहण केंद्रों में लगातार संपर्क कर संग्राहकों को जागरूक किया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य है कि जागरूकता, सतर्कता एवं सामूहिक सहभागिता के माध्यम से मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके तथा तेंदूपत्ता संग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

'भोज महोत्सव' वायब्रेंट भोपाल की अवधारणा अंतर्गत आयोजनों के माध्यम से भोपाल की ब्रांडिंग पर जोर



रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद (DATCC) की कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। नवगठित कार्यकारिणी समिति की इस पहली परिचयात्मक बैठक में भोपाल जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने, ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण तथा स्थानीय संस्कृति के संवर्धन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में 'वायब्रेंट भोपाल' की अवधारणा के अंतर्गत भोज महोत्सव, फूड फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल तथा अन्य सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से भोपाल की ब्रांडिंग करने पर जोर दिया गया। साथ ही भोपाल की प्राकृतिक सुंदरता, झीलों, ऐतिहासिक स्मारकों और पर्यटन स्थलों की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी प्रतियोगिताएं आयोजित करने तथा नागरिक सहभागिता के माध्यम से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। कलेक्टर ने DATCC की

वेबसाइट, बुकलेट एवं लोगो तैयार करने के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आर्ट एंड ड्राइंग, फोटोग्राफी, रील मेकिंग, शॉर्ट मूवी एवं लोगो डिजाइन प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर भी सहमति बनी। बैठक में भोपाल की सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने, हेरिटेज वॉक शुरू करने, स्थानीय गाइड व्यवस्था विकसित करने तथा पर्यटन स्थलों पर पेयजल, प्रकाश एवं प्रसाधन जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने की दिशा में कार्ययोजना तैयार करने पर चर्चा की गई। यह भी कहा गया कि होम-स्टे योजनाओं एवं स्थानीय टूरिस्ट सर्किट विकसित कर पर्यटन आधारित रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। भोपाल जिले में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पीपीपी मॉडल पर टूर पैकेज तैयार करने की आवश्यकता बताई गई। बैठक में संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों को जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से समन्वित रूप से संचालित करने पर सहमति बनी। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर कलेक्टर ने स्टेट म्यूजियम का अवलोकन भी किया।

व्यवस्था नाकाम गंदगी से रहवासी परेशान हेल्पलाइन नम्बर पर शिकायत भी बेनतीजा साबित



रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

भोपाल के वार्ड क्रमांक 2 मथाई नगर स्थित एक निजी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों की सफाई की समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा दरअसल वहाँ की एक प्राइवेट सोसाइटी की एक बिल्डिंग से लगातार सीवेज का पानी निकल कर वहाँ पर खुले स्थान रास्ते पर जमा हो रहा है जिससे वहाँ पर फैले गंदे पानी व दुर्गन्ध की वजह से वहाँ पर रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है तथा गंभीर बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। वहाँ रहने वाले समस्याग्रस्त लोगों ने काम्प्लेक्स के मालिक से कई

बार इसकी शिकायत की लेकिन वहाँ के मेनेजमेंट ने समस्या को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई इसके बाद वहाँ रह रहे लोगों ने नगर निगम व सी एम हेल्पलाइन नम्बर पर शिकायत दर्ज करवाई लेकिन सी एम हेल्पलाइन से जवाब आया कि ये सोसाइटी निजी हाथों में है। अतः इस समस्या का समाधान भी वही करेंगे कुल मिलाकर तीन महीने से समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसके बाद वहाँ के लोगों का विचार है कि उनकी इस समस्या का उपयुक्त समाधान नहीं होता है तो वे जिला कलेक्टर को इसकी शिकायत करेंगे।

बच्चों के कमरे को बनाया निशाना, परिवार सोता रहा और चोर वारदात को देते रहे अंजाम

संभ्राणिय संवाददाता - राजू राय

शहडोल। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर में बीती रात चोरों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए घर की पिछली दीवार में सुरंग बनाकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात पार कर दिए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल्याणपुर निवासी मो. अहमद का पूरा परिवार रात में घर के अंदर सो रहा था। घर के एक कमरे में उनकी 14 वर्षीय बेटी और 6 वर्षीय बेटा सो रहे थे। इस कमरे के बाहर एक कूलर लगा हुआ था जिसमें नशीला जहरीला

स्रे डाला गया जिसके पास से पूरा परिवार बेसुध हो गया। उसी कमरे में रखी अलमारी में सोने एवं चांदी के गहने रखे हुए थे, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपये बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अज्ञात चोरों ने घर की पिछली दीवार में सुरंग बनाकर अंदर प्रवेश किया और बड़ी ही सफाई से अलमारी में रखे जेवरात चोरी कर लिए। सुबह जब परिवार की नींद खुली तो घर के पीछे का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। दीवार के पास ज्वैलरी के खाली डिब्बे, बिल एवं अन्य दस्तावेज बिखरे पड़े मिले। घटना की सूचना तत्काल कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके

पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। पीड़ित मो. अहमद ने थाना कोतवाली में लिखित शिकायत देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से आमजन भयभीत है। रात के समय गश्त व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गए सामान की बरामदगी सुनिश्चित की जाए। घटना ने एक बार फिर शहर की सुरक्षा व्यवस्था और रात की पुलिस पेट्रोलिंग पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।



शहडोल - कुएं में मिली लापता युवक की लाश और बाइक हत्या की आशंका से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

कैलाश कुमार अहिरवार - सह संपादक

शहडोल/जयसिंहनगर शहडोल जिले के सीधी थाना अंतर्गत नकटाटोला गांव में रविवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक कुएं में लापता युवक की लाश और उसकी मोटरसाइकिल दोनों तैरते हुए मिले। घटना की सूचना मिलते ही सीधी थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव व बाइक को कुएं से बाहर निकाला। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है।

इकलौते बेटे की मौत से मां का रो-रोकर बुरा हाल: मृतक की पहचान कुंडाटोला (बनसुकली) निवासी प्रदीप सिंह (उम्र लगभग 22 वर्ष), पिता स्वर्गीय हीरालाल सिंह के रूप में हुई है। प्रदीप अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और उसके पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। इकलौते कमाऊ पूत की इस तरह संदिग्ध मौत से मां गीता सिंह और



परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया है।

14 मई से लापता था प्रदीप, मां ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रदीप सिंह 14 मई 2026 से लापता था। उसकी मां गीता सिंह ने बताया कि 14 मई की दोपहर करीब 1-30 बजे वह तेंदूपत्ता की गड्डी बना रही थी, तभी प्रदीप अपनी मोटरसाइकिल बनवाने की बात कहकर बनसुकली के लिए निकला था। जब वह शाम तक घर नहीं लौटा, तो मां ने उसके

मोबाइल पर फोन किया। तब प्रदीप ने बताया कि वह अपने नाना बाबूलाल सिंह के घर (ग्राम छपरा टोला) में है और जल्द ही घर आ जाएगा।

आखिरी फोन कॉल और संदिग्ध परिस्थितियां

मां के अनुसार, रात करीब 9-00 बजे प्रदीप ने नकटाटोला निवासी विकास सिंह के मोबाइल नंबर से अपनी मां को फोन किया और कहा कि उसका खुद का मोबाइल बंद हो गया है और वह घर आ रहा है। लेकिन वह रातभर घर नहीं पहुंचा।

अगले दिन 15 मई को प्रदीप के नाना बाबूलाल सिंह उसकी तलाश में नकटाटोला स्थित विकास सिंह के घर पहुंचे। विकास ने उन्हें बताया कि प्रदीप रात 10-00 बजे ही वहां से घर जाने की बात कहकर निकल गया था। रिश्तेदारों और संभावित जगहों पर खोजबीन के बाद भी जब प्रदीप का कुछ पता नहीं चला, तो पेशान मां गीता सिंह ने 16 मई को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

गुमशुदगी दर्ज होने के अगले ही दिन यानी 17 मई (रविवार) की सुबह नकटाटोला के एक कुएं में प्रदीप की लाश और उसकी मोटरसाइकिल मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की मां का कहना है कि प्रदीप का नकटाटोला निवासी रामधनी सिंह के घर भी आना-जाना था। घटना की परिस्थितियों को देखते हुए परिजनों ने आरोप लगाया है कि यह कोई हादसा या खुदकुशी नहीं है, बल्कि एक सोची-समझी साजिश के तहत प्रदीप की हत्या की गई है और साक्ष्य छिपाने के लिए लाश व बाइक को कुएं में फेंका गया है।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह हत्या का मामला है या आत्महत्या का, अथवा कोई दुर्घटना है, इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। संदिग्धों और आखिरी बार संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।

केमिकल से आम एवं तरबूज आदि फलों को पकाने के मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यवाही



जांच नमूने संग्रहित किए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भोजराज सिंह धाकड़ की टीम द्वारा करौंद फल मंडी स्थित दुकान नंबर 18, %सईद फ्रूट कंपनी% पर खाद्य सुरक्षा सर्विलांस फूड प्लान के अंतर्गत आकस्मिक निरीक्षण किया गया। यहाँ से फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग में लाया जा

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

करौंद मंडी और लालघाटी, मिनाल रेसीडेंसी से आम, तरबूज सहित केमिकल रिपनर के नमूने जब्त कर आम जनता को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर भोपाल श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम द्वारा शहर में लगातार औचक निरीक्षण और सैंपलिंग की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अलग-अलग दलों द्वारा लालघाटी स्थित दांगी फल सब्जी एवं करौंद फल-सब्जी मंडी की एक दर्जन से अधिक विभिन्न दुकानों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाले संदिग्ध रसायनों, आम, तरबूज और खरबूज के सर्विलांस एवं

रहा केमिकल पदार्थ जब्त किया गया। कृत्रिम रूप से पके होने की आशंका के चलते %आम% का नमूना जांच हेतु लिया गया। न्यू फ्रूट सब्जी मंडी: मो. परवेज की दुकान से नमूने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा न्यू फ्रूट सब्जी मंडी, करौंद स्थित दुकान नंबर 13 पर कार्रवाई की गई। मानक स्तर की जांच सुनिश्चित करने के लिए तरबूज व आम के नमूने संगृहीत किए। इसके साथ ही विभाग की टीम द्वारा लालघाटी स्थित दांगी फल सब्जी विक्रेता और करौंद मंडी की एक दर्जन से अधिक अन्य फल दुकानों का भी सघन निरीक्षण किया गया। वहाँ से भी तरबूज, खरबूज और आम के संदिग्ध लॉट की जांच की गई और गुणवत्ता परखने के लिए आवश्यक नमूने संकलित किए गए।

सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्यप्रयोन अपराधों से संरक्षण अधिनियम विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित



रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में गुरुवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के जागरूकता अभियान -सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य- अंतर्गत जागृति योजना 2025 के कियान्वयन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल द्वारा बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम विषय पर पुलिस कंट्रोल रूम के सभाकक्ष में जागरूकता कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भोपाल के विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों, थानों से पुलिस अधिकारी, पैरालीगल वालंटियर, भोपाल के विभिन्न पुलिस थानों के प्रतिनिधि, विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रतिनिधि, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित क्षात्रावास, शिक्षा विभाग के आरबीसी तथा महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित

गृहों के प्रभारियों, गैर शासकिय संघटनों के प्रतिनिधि, पैनल लॉयर्स एवं पीएलवी लगभग कुल 100 जन सम्मिलित हुये। कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस विभाग के डीसीपी श्रद्धा तिवारी, विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राधिकरण सचिव न्यायाधीश सुनीत अग्रवाल. ए.डी.सी.पी. मंजुलता खत्री मेडम, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉ. धनीराम पवार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।कार्यक्रम में वक्ताओं के द्वारा कार्यशाला को संबोधित किया गया। डॉ. धनीराम पवार द्वारा बाल कल्याण समिति के कार्य एवं पाक्सो एक्ट के अंतर्गत सहायक व्यक्ति की भूमिका के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वही कृपा शंकर चौबे जी द्वारा पाक्सो अधिनियम एवं जेजे एक्ट के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया। रेखा श्रीधर द्वारा पुलिस की कार्यप्रणाली एवं बाल संरक्षण से जुड़े विषयों पर चर्चा की गयी। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुये आकांक्षा

तोमर द्वारा बाल देख-रेख संस्थान एवं विशेष गृह में रह रहे बच्चों की देखभाल एवं उनके संरक्षण के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की गयी।कार्यक्रम के अंत में सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण सुनीत अग्रवाल द्वारा निशुल्क विधिक सेवा, पीडित प्रतिकर, पाक्सो अधिनियम की बारिकियां जिसमें प्रमुख रूप से पाक्सो पीडित बच्चे की शिकायत दर्ज न करवाने की स्थिति में सजा का प्रावधान होने के बारे में बताया। सपोर्ट पर्सन की भूमिका एवं बाल कल्याण समिति की कार्यप्रणालियों पर विस्तृत समझाईश दी गयी।कार्यक्रम का उद्देश्य पाक्सो के संदर्भ में पुलिस, बालकों की देखरेख से संबंधित विभिन्न संस्थानों एवं छात्रावासों में जागरूकता बढ़ाना एवं उन संस्थानों में रह रहे बच्चों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है, साथ ही बाल संरक्षण के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता बढ़ाना एवं विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना रहा है।

युवती की हत्या व लूट के दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लूटा गया मोबाइल जप्त

कुमार अनूप गुप्ता गुप्त ब्यूरो चीफ
अनूपपुर

जिले के बिजुरी पुलिस ने एक महिला की अंधी हत्या और लूट के मामले का महज 06 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 17 वर्षीय नाबालिग बालक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपनी एक महिला मित्र सुमन (परिवर्तित नाम, उम्र 20 वर्ष) के साथ शाम करीब 7-30 बजे कोरजा कालरी बाउंड्री के पास, रेलवे लाइन रोड पर एक सुनसान बरगद पेड़ के नीचे बैठा था।

इसी दौरान दो अज्ञात बदमाश वहां पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए युवती के साथ अश्लील हरकत और जबरदस्ती करने लगे। जब नाबालिग साथी ने इसका विरोध

किया, तो आरोपियों ने उसके सिर पर पत्थर से हमला कर दिया। बदमाशों ने मृतिका को घसीटकर पास की नाली के पास ले जाकर अर्धनग्न कर दिया।

घायल होने के बावजूद नाबालिग बालक ने आरोपियों से मुकाबला किया और हाथापाई के दौरान एक आरोपी के सीने पर दांत से काट लिया। शोर मचने पर दोनों आरोपी वहां से भाग निकले, लेकिन जाते समय वे नाबालिग का मोबाइल स्कूटी की चाबी और मृतिका का लोवर ले गए।

गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शुरुआत में बदमाशों के खिलाफ बीएनएस (BNS) की विभिन्न धाराओं (296(b), 115(2), 74, 75(2), 76,



309(6), 3(5)) के तहत मामला दर्ज किया था। लेकिन पीएम रिपोर्ट और पीड़िता की मौत के बाद मामले में धारा 103(1) बीएनएस (हत्या) का इजाफा कर अज्ञात आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई।

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना के मात्र 6 घंटे के भीतर दो संदिग्धों को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन और मृतिका का लोवर बरामद कर लिया है। इसके साथ ही घटनास्थल से महत्वपूर्ण जैविक साक्ष्य भी संकलित किए गए हैं।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम गोलू कुशवाहा पिता शंकर कुशवाहा (उम्र 32 वर्ष), निवासी-ग्राम कोरिया (हाल छाता मोहल्ला, बिजुरी)। अख्तर अली कुरैशी पिता हिफाजत अली कुरैशी (उम्र 36 वर्ष), निवासी-वार्ड क्र. 12, बिजुरी है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

हैलो... मैं नर्स... माँ सुरक्षित तो भविष्य सुरक्षित

'माँ का हाल' अभियान 4458 गर्भवती माताओं के लिए बना वरदान



कैलाश कुमार अहिरवार - सह संपादक

शहडोल - कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के मार्गदर्शन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री शिवम प्रजापति के निर्देशन में शहडोल जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को रोकने के उद्देश्य से जनवरी 2026 से 'माँ का हाल' अभियान प्रारंभ किया गया।

इस अभियान का उद्देश्य गर्भवती माताओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना एवं उनका नियमित फॉलोअप करना है। अभियान के अंतर्गत जिले के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ एएनएम एवं सीएचओ द्वारा चिन्हित गर्भवती माताओं से दूरभाष के माध्यम से समय-समय पर संपर्क कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है तथा आवश्यकतानुसार उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है तथा अभियान के सकारात्मक परिणाम भी परिलक्षित हो रहे हैं और यह गर्भवती माताओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा ने बताया कि जनवरी से अक्टूबर 2026 तक जिले में 17069 गर्भवती माताओं को संस्थागत



प्रसव हेतु चिन्हित किया गया। 'माँ का हाल' अभियान के तहत जनवरी से अप्रैल माह तक 5936 मध्यम एवं गंभीर एनीमिक गर्भवती माताओं से दूरभाष पर संपर्क किया गया, जिनमें से 3856 माताओं को प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से उच्च अस्पतालों में उपचार हेतु भेजा गया। 203 गंभीर एनीमिक गर्भवती माताओं में से 176 को रक्त चढ़ाने की कार्यवाही की गई, 553 हाइपरटेंशन से प्रभावित गर्भवती माताओं में से 453 का समुचित उपचार कराया गया। शेष गर्भवती माताओं से निरंतर संपर्क कर उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। 'माँ का हाल' अभियान मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में शहडोल जिले का एक अभिनव एवं सराहनीय प्रयास बनकर उभरा है।

अमझोर शराब भट्टी में लंबे समय से ओवररेटिंग का खेल, अशोक राय ने स्क्रीनशॉट साझा कर खोला मोर्चा, आबकारी विभाग की मिलीभगत के आरोप

कैलाश कुमार अहिरवार - सह संपादक


जयसिंहनगर/अमझोर - क्षेत्र की सरकारी शराब भट्टी इन दिनों अवैध वसूली और विवादों का अखाड़ा बन चुकी है। अमझोर स्थित विदेशी शराब भट्टी में तय कीमत से कई गुना अधिक दामों पर शराब बेचे जाने का गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ लंबे समय से ओवररेटिंग में शराब बेची जा रही है, जिससे परेशान होकर अब जागरूक नागरिक अशोक राय का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने इस लूटखसोट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उग्र विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

शिकायत करने पर मिला गैर-जिम्मेदाराना जवाब

मिली जानकारी के अनुसार, जब अशोक राय ने शराब की बोलियों पर लिखे प्रिंट रेट से ज्यादा पैसे वसूलने का कड़ा विरोध किया, तो काउंटर पर बैठे भट्टी कर्मचारी ने सुधरने के बजाय उन्हें दो टूक और गैर-जिम्मेदाराना जवाब दे दिया।

जब अशोक राय ने कहा कि वे इस अवैध वसूली की शिकायत उच्च अधिकारियों से करेंगे, तो भट्टी संचालक ने धौंस जमाते हुए कहा 'जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, सीधे आबकारी वालों से जाकर बात कर लो। हमें ऊपर तक हिस्सा देना पड़ता है। आपको ज्यादा दिक्कत है, तो आबकारी अधिकारियों से ही शिकायत करो।'

अशोक राय ने साझा किया ओवररेटिंग का ऑनलाइन पेमेंट स्क्रीनशॉट इस अवैध वसूली को उजागर करने के लिए अशोक राय द्वारा बकायदा ऑनलाइन पेमेंट किया गया है, जिसका स्क्रीनशॉट उन्होंने साक्ष्य के रूप में सार्वजनिक तौर पर साझा किया है। इस स्क्रीनशॉट में साफ देखा जा सकता है कि प्रिंट रेट से कितनी अधिक राशि



वसूली गई है। इस पुख्ता सबूत के सामने आने के बाद भट्टी प्रबंधन पूरी तरह घिर गया है।

आबकारी विभाग के संरक्षण में चल रहा खेल?

भट्टी संचालक के इस बेखौफ अंदाज और लंबे समय से चल रही इस अवैध वसूली से साफ जाहिर होता है कि इस पूरे ओवररेटिंग के खेल को आबकारी विभाग के आला अधिकारियों का कथित तौर पर मूक संरक्षण प्राप्त है। अशोक राय का आरोप है कि बिना विभागीय सांठगांठ के कोई भी सेल्समैन इतनी निडरता से लगातार जनता की जेब पर डाका नहीं डाल सकता।

बहुत जल्द होगा बड़ा खुलासा
अशोक राय का कहना है कि अमझोर दारू भट्टी में तय समय के बाद भी खिड़की से शराब सप्लाई करने का काला कारोबार चल रहा है। अशोक राय ने चेतावनी दी है कि वे इस पेमेंट स्क्रीनशॉट साक्ष्यों के साथ जिला कलेक्टर व आबकारी कमिश्नर से इसकी लिखित शिकायत करने जा रहे हैं, ताकि इस सिंडिकेट का भंडाफोड़ हो सके। अब देखना यह होगा कि इस डिजिटल सबूत के सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारी अमझोर शराब भट्टी पर क्या कड़ी कार्रवाई करते हैं, या फिर हमेशा की तरह आबकारी विभाग अपनी आंखें मूंदे बैठा रहेगा।

विधायक सांची एवं पूर्व मंत्री, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ० प्रभुराम चौधरी द्वारा जनपद पंचायत सांची में आयोजित पेयजल समीक्षा बैठक ली

विधायक सांची एवं पूर्व मंत्री, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ० प्रभुराम चौधरी द्वारा जनपद पंचायत सांची में आयोजित पेयजल समीक्षा बैठक ली जाकर 15 पंचायतों को पानी के टैंकर (मय फायर फायटर) वितरण किए गए। दिनांक 19 मई 2026 को विधायक सांची एवं पूर्व मंत्री, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ० प्रभुराम चौधरी द्वारा जनपद पंचायत सांची में आयोजित पेयजल की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में विधायक महोदय द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद को निर्देशित किया गया कि पेयजल समस्या के संबंध में आने वाली समस्या का निराकरण त्वरित गति से किया जावे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का संबंधित अमला ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर तुरन्त कार्यवाही सुनिश्चित करे ताकि पेयजल समस्या संबंधी शिकायतों का



निराकरण तुरन्त हो सके एवं लोगों को पेयजल समस्या का सामना नहीं करना पड़े। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद द्वारा बताया गया कि हमने पेयजल समस्या के निराकरण के इस संबंध में जनपद कार्यालय में एक कन्ट्रोल रूम भी स्थापित किया है ताकि प्राप्त शिकायतों पर

संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित किया जा सके। बैठक के पश्चात माननीय विधायक द्वारा जनपद पंचायत सांची की 15 ग्राम पंचायतों, सरार खोडा, परवरिया, कानपोहरा, मउपधरई, अण्डोल, सरचम्पा, नांद, सिरसौदा, चिरहोली-41, भादनेर, जमुनिया, डावरा इमलिया,



रातातलाई एवं चिरहोली-14 को विधायक निधि से एक-एक पानी के टैंकर (मय फायर फायटर) वितरण किए गए। उक्त कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमति अर्चना पोते, श्रीमति वैजंती बाई गंगाराम चौकसे उपाध्यक्ष जनपद पंचायत सांची, नगर परिषद् अध्यक्ष सांची

श्री पप्पू रेवाराम अहिरवार, जिला पंचायत सदस्य सुश्री सपना लवारिया, भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्री दातार सिंह मीणा वरिष्ठ भाजपा नेता श्री जवाहर सिंह चौहान श्री प्रदीप दीक्षित एवं पंचायतों के सरपंच सचिव एवं पार्टी कार्यकर्तागण, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

रायसेन में 'समर कैम्प 2026 स्कूल की तैयारी' सुपरवाइजर प्रशिक्षण का सफल समापन

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

रायसेन। जिले में 'समर कैम्प 2026 - स्कूल की तैयारी' अभियान के अंतर्गत आयोजित दो दिवसीय सुपरवाइजर प्रशिक्षण का समापन आज दिनांक 21 मई 2026 को हुआ। महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश एवं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रशिक्षण में जिले की सभी परियोजनाओं की पर्यवेक्षिकाओं ने सक्रिय सहभागिता की।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को स्कूल रेडीनेस मेला की संपूर्ण प्रक्रिया, बच्चों के विकास के पाँच प्रमुख क्षेत्रों, रिपोर्ट कार्ड प्रणाली तथा समुदाय आधारित गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों को कक्षा-1 के लिए तैयार करने में ऑनगवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं माताओं की भूमिका पर विशेष चर्चा की गई।

अब अभियान के अगले चरण में 22 एवं 23 मई को सेक्टर स्तर पर सुपरवाइजर द्वारा सभी ऑनगवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान



किया जाएगा, ताकि वे अपने-अपने केन्द्रों पर 'स्कूल की तैयारी' गतिविधियों को प्रभावी रूप से संचालित कर सकें।

प्रथम संस्था से राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें हेमंत उपाध्याय, अखिलेश रिखरिया एवं रिशु राज मुख्य प्रशिक्षक रहे। प्रशिक्षण के माध्यम से ऑनगवाड़ी

एवं विद्यालय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा माताओं को बच्चों की सीखने की प्रक्रिया से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया।

यह अभियान बच्चों को आत्मविश्वास के साथ कक्षा-1 में प्रवेश दिलाने और स्कूल रेडीनेस को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

जनगणना प्रचार रथ को कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना



कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

जिले में जनगणना कार्य के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जनगणना प्रचार रथ को कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने कहा कि जनगणना देश के विकास एवं योजनाओं की आधारशिला है। इससे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर शासन द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, पेयजल एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं की योजनाएं तैयार की जाती हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे जनगणना कार्य में पूर्ण सहयोग करें और प्रश्नों को सही एवं तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं। प्रचार रथ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर नागरिकों को जनगणना के महत्व, प्रक्रिया एवं आवश्यक जानकारी से अवगत कराएगा। रथ के माध्यम से यह संदेश दिया जाएगा कि जनगणना में दी गई जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है तथा इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री दिलीप पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर सुश्री प्राणी अग्रवाल, जनगणना नोडल अधिकारी श्री महेन्द्र मिश्रा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

रामनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 1 करोड़ के गांजे के साथ 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में रामनगर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दरअसल, रविवार रात पुलिस को मुखबिर से गांजा तस्करी की सूचना मिली थी। बताया गया था कि कार (MP 19 C 0003 T) में भारी मात्रा में अवैध गांजा भर कर छत्तीसगढ़ के मरवाही से शहडोल

गांजा तस्करी करने 18 दिन पहले खरीदी कार! CG से MP जाने के दौरान पेड़ से हुई टक्कर, 1 करोड़ का माल बरामद

की तरफ ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल टीम गठित कर ग्राम फुलवारी टोला मार्ग पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान कार आती दिखाई दी, जिसे रोकने के दौरान चालक पुलिस को देखकर कार रोड से नीचे उतार दिया जिससे कार पेड़ से टकरा गई। कार चालक 23 वर्षीय सुमित मिश्रा उर्फ बेटू से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वाहन में दो व्यक्ति सवार थे। एक व्यक्ति गाड़ी टकराने के बाद भाग गया। गाड़ी से मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस



वाहन की तलाशी में पैकेटों से कुल 225.740 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,12,87,000/- रुपये आंकी गई है। जिस पर आरोपी सुमित उर्फ वेद मिश्रा को गिरफ्तार कर मौके से अवैध गांजा, परिवहन में प्रयुक्त वाहन 02 मोबाइल एवं अन्य सामग्री जब्त किया। वाहन की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपये और मोबाइल की कीमत लगभग 20 हजार रुपये है।

बदलते मौसम में बच्चों की देखभाल ...



गर्मी का मौसम शुरू होते ही बच्चों को त्वचा और स्वास्थ्य से संबंधित समस्यायें परेशान करने लगती हैं, इनसे बचने के कुछ सरल उपाय अपनाकर आप अपने बच्चों को इस मौसम में स्वस्थ रख सकते हैं। बच्चों के शरीर को आराम देने के लिये सूती और पतले कपड़े ही पहनाये। हल्के रंग के कपड़ों का ही चुनाव करें। सूती कपड़े पहनने से शरीर को ठंडक मिलती है और ये पसीना भी सोखते हैं वहीं सिंथेटिक कपड़े में पसीना अधिक आता है जो त्वचा से संबंधित रोगों को जन्म देता है।

बच्चों को धूप में लेकर न जाये और यदि बहुत जरूरी ही हो तो उसे पूरी बाजू के सूती कपड़े ही पहनायें। बाहर निकलते समय टोपी या हैट से बच्चे का सिर ढक लें और छतरी का प्रयोग करें। शाम के समय अगर उसको प्रैम में घुमाने लेकर जायें तो गहिरों की जगह बच्चे के नीचे सूती चादर ही बिछायें इससे उसे आराम मिलेगा।

डायपर कि जगह सूती नैपी या लंगोट का अधिक प्रयोग करें इससे बच्चे को रैशेज की समस्या नहीं होगी। जितना हो सके बच्चे को घर में ठंडे वातावरण में ही रखें।

छः माह से छोटे शिशुओं को पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं होती। ये स्तनपान से ही अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे डिब्बेवाले दूध का सेवन करते हैं उन्हें उबालकर ठंडा किया हुआ पानी चम्मच से पिलाते रहें। फ्रिज में ठंडा किया हुआ चिल्ड पानी न पिलाये। छः माह से बड़े बच्चों को लस्सी, मिल्क शेक, नारियल पानी या फलों का ताजा रस चम्मच से पिलाया जा सकता है।

बच्चों को कभी भी बाहर से खरीदा हुए पेय पदार्थ और बाहर का खाना न दें। ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा तो यही होगा कि घर से बाहर जाते समय बच्चे के पीने के पानी और खाने का कुछ सामान हमेशा साथ ही लेकर

जायें। मौसम चाहे कोई भी हो शिशुओं के लिये मालिश तो बहुत आवश्यक होती है। इस मौसम में मालिश करते समय ये ध्यान रखें कि बच्चे के शरीर पर तेल लगा न रहे। मालिश के कुछ समय बाद उसे स्नान जरूर करवायें। आप चाहे तो नारियल के तेल से भी शिशु की मसाज कर सकती हैं इससे शिशु को ठंडक मिलेगी।

नहलाने के बाद शिशु के शरीर को ठंडक देने के लिये टैल्कम पाउडर तो लगाये लेकिन अत्याधिक पाउडर न लगाये। पाउडर का ज्यादा प्रयोग करने से ये स्किन पर जम जाता है। नहाने के तुरंत बाद बच्चे को एसी रूम में यह कूलर के सामने न लेकर जाये और न ही एसी रूम से सीधे धूप में लेकर जाये इससे बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।

गर्मी के मौसम में बच्चों को पानी में खेलना बहुत भाता है। एक वर्ष से बड़े बच्चों को बाथ टब में पानी भरकर कुछ रबड़ के खिलौने डाल दें और उसमें बच्चे को खेलने दें। ध्यान रहे कि बाथ टब ज्यादा गहरी न हो। इन क्षणों में बच्चों को अकेला न छोड़े उसे लगातार वॉच करती रहें।

बच्चों को धूप से बचाने के लिये सस्ते गॉगल्स का इस्तेमाल न करें। ध्यान रहे कि गॉगल्स अच्छी क्वालिटी के हों जिससे बच्चों की आंखों पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

बच्चों की याददाश्त इस प्रकार होगी बेहतर

कुछ बच्चों की याददाश्त कमजोर होती है जिससे अभिभावक परेशान रहते हैं क्योंकि इस कारण ये बच्चे मेहनत करने के बाद भी पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। अगर आपका बच्चा भी याद की हुई बातें, जल्दी भूल जाता है तो निराश न हों। कुछ उपाय अपनाकर आप अपने बच्चे की याददाश्त बेहतर बना सकते हैं।

बच्चे को व्यायाम की आदत डालें। व्यायाम करने से न केवल बच्चे का शरीर फिट रहता है, बल्कि दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छे से होती है, जो बच्चे के दिमाग को तेज करती है।

बच्चे को तनावरहित रहने की आदत डालें। दिमाग बिना तनाव के तेज काम करता है।

बच्चों को 8-9 घंटे की नींद रोज लेना चाहिए। नींद पूरी होने पर बच्चा किसी भी काम में ध्यान अच्छे से दे पाएगा।

जरूरी चीजें लिख लें। लिखने से चीजों को याद रखने में आसानी होती है और खुद की लिखी चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं।

कई बार बच्चे जो चीजें पढ़कर याद नहीं कर पाते, वही चीजें उन्हें देखकर याद हो जाती हैं, जैसे फोटोग्राफ, चार्ट, टेबल वगैरह। अगर बच्चे को कोई चीज याद नहीं हो रही हो तो उन्हें दिमाग में ही उसकी कोई छवि बनाकर उस चीज को याद करने के लिए कहें।

बच्चा जो याद करना चाहता है, उसे जोर-जोर से पढ़ या बोलकर याद करने से भी उसे चीजें जल्दी याद होंगी।

इसके साथ ही बच्चे के खानपान का भी ध्यान रखें और उसे पौष्टिक पदार्थ दें। बादाम का सेवन भी स्मरण शक्ति को तेज करता है।



बच्चों में अंगूठा चूसने की आदत



कई बच्चों को अंगूठा चूसने की आदत होती है। अक्सर माता-पिता बच्चों की इस आदत को नजरअंदाज कर देते हैं। सोचते हैं कि बच्चे के बड़े होने के बाद यह आदत छूट जाएगी। मगर इस आदत के कारण बच्चे को बहुत नुकसान होता है। बच्चे व्यग्रता, आकुलता, मानसिक असुरक्षा के कारण या बच्चों में भूख से उत्पन्न नैराश्य दूर करने के लिए यह आदत अपना लेते हैं।

अंगूठा चूसने से दांत की हड्डी बाहर की ओर आ जाती है। इस कारण बच्चों के दांत टेढ़े हो जाते

हैं। इस आदत को छुड़ाने के लिए बच्चों के अंगूठे पर पट्टी बांधी जा सकती है।

अंगूठे चूसने के कारण बच्चे को सूजन या इन्फेक्शन होती है। सांस में समस्या आती है। बच्चे इस आदत के कारण स्कूल में हंसी का कारण बन जाते हैं। इस आदत को छुड़ाने के लिए डॉक्टर से मदद ली जा सकती है।

बच्चों को हमेशा व्यस्त रखें तथा उन्हें समय-समय पर दूध व भोजन खिलाते रहें। यदि बच्चा भूखा होगा तो यह स्वभाविक ही है कि वह अंगूठा मुँह में लेगा।



रमाकांत चौहान बने अभाविप रायसेन जिला संयोजक

हत्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

उदयपुरा/ रायसेन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य भारत प्रांत का प्रांत अभ्यास वर्ग 15 से 18 ह्रदा में सम्पन्न हुआ। जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आगामी कार्य योजना एवं कार्य करने के लिए सत्र 2026 का रमाकांत चौहान को जिला संयोजक बनाया गया है। रमाकांत चौहान पूर्व में प्रान्त कार्यकारणी सदस्य, नगर अध्यक्ष उदयपुरा जैसे दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। रमाकांत चौहान की कार्य क्षमता को देखकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय पदाधिकारियों ने उन्हें रायसेन जिले का जिला संयोजक नियुक्त किया है। वैसे भी वह विद्यार्थी परिषद के बहुत लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ता हैं। रमाकांत चौहान रायसेन जिले भर के विद्यार्थियों के हित के लिए अग्रणीय रहते हैं जिला संयोजक रमाकांत चौहान ने बताया कि संगठन के भरोसा खरा उतरने का पूरी निष्ठा और ईमानदारों के साथ प्रयास किया जाएगा और आगामी वर्ष में कार्य विस्तार की दृष्टि से अभाविप के काम को नए स्थानों तक पहुंचाया जाएगा। हर स्कूल और कॉलेज तक अभाविप पहुंचेगी और छात्रहित में काम करेगी।



ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हर्ई का विशाल धरना प्रदर्शन संपन्न, जनसमस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन



हर्ई।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हर्ई द्वारा क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। धरना प्रदर्शन के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम तहसीलदार हर्ई को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र निराकरण की मांग की गई। कार्यक्रम में संगठन मंत्री गुरु चरण खरे, जिला किसान अध्यक्ष पुष्पेंद्र चौधरी, विधायक प्रत्याशी धीरन शाह इनवाती, आदिवासी जिला अध्यक्ष राम नारायण परतेती, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष

रामजी उईके, किसान अध्यक्ष धरम यादव, आदिवासी ब्लॉक अध्यक्ष नत्थूलाल उईके, सेवादल अध्यक्ष धनीराम भलावी, महिला अध्यक्ष सरिता बरकडे, क्षेत्रीय अध्यक्ष भागचंद धुर्वे, नारायण इनवाती, तुलसीराम उईके, कलशराम धुर्वे, रामकुमार सरेआम, रामलाल सरेआम, उमाशंकर साहू, ब्लॉक अध्यक्ष विजय नामदेव, बलराम श्रीवास, संजू यादव, प्रेमलाल भलावी, सेवसी सरयाम, जलमान धुर्वे सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, महिला कांग्रेस, सेवादल एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने हर्ई क्षेत्र की प्रमुख जनसमस्याओं को उठाते हुए जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार

की निष्पक्ष जांच, यूरिया खाद की कालाबाजारी पर रोक, शासकीय अस्पताल हर्ई में रात्रिकालीन डॉक्टर की ड्यूटी, अवैध शराब एवं कूचिया खाना बंद कराने, पंचायतों में भ्रष्टाचार एवं घटिया निर्माण कार्यों की जांच, नगर में नियमित पेयजल व्यवस्था तथा अशोषित बिजली कटौती बंद कर सुचारु बिजली व्यवस्था की मांग की। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हर्ई ने चेतावनी दी कि यदि क्षेत्र की जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी जनहित में आगे भी लोकतांत्रिक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों की उपस्थिति ने आंदोलन को सफल बनाया।

मुख्यमंत्री यादव ने मंत्रालय में की जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा



इंदौर।

इंदौर, 21 मई 2026 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाये। छत्तीसगढ़ के दत्तेवाड़ा जिले में भी जनजातीय कृषकों द्वारा जैविक खेती की जा रही है। इसका अध्ययन करने के लिए मध्यप्रदेश से दल भेजा जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में यह बात कही। बैठक में जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. विजय शाह, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री मनीष रस्तोगी, जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री गुलशन बामरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों,


आश्रम और छात्रावासों में शिक्षा और रहन सहन की गुणवत्ता बेहतर करें। जनजातीय क्षेत्रों में परंपरागत सामाजिक मूल्यों के संरक्षण और समग्र विकास के लिए समाज सेवी संगठनों का भी सहयोग लें। जनजातीय क्षेत्र में शासन के विभिन्न विभाग मिलकर कार्य करें। कन्वर्जेंस से जन सुविधाओं का विकास सुनिश्चित किया जाये। जनजातीय समाज में पशुपालन को बढ़ावा दें और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में इनका सहयोग ले। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, भारिया और सहारिया के समग्र विकास के लिए सतत् कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभाग द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया है कि हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षा परिणाम 2026 में

सर्वश्रेष्ठ 10 जिलों में से 7 जनजातीय जिले शामिल हैं। दिसम्बर 2023 से अब तक जनजातीय वर्ग के कक्षा 9 एवं 10 के कुल 3 लाख 65 हजार विद्यार्थियों को 137 करोड़ 52 लाख रुपये की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है। इसी अवधि में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 4 लाख 28 हजार विद्यार्थियों को 673 करोड़ 64 लाख रुपये की राशि भुगतान की गई है। विभाग द्वारा 2671 छात्रावास और आश्रम शालाओं का संचालन किया जा रहा है। मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमाह 15 सौ रुपये की राशि शासन की आहार अनुदान योजना में प्रदान की जा रही है। दिसम्बर 2023 से अभी तक में 2 लाख 37 हजार 550 महिलाओं को कुल 432 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

ग्वालियर लोकसभा सांसद भारत सिंह कुशवाह ने मध्य प्रदेश शान अनुसूचित जाति विभाग के मंत्री को अनुसूचित जाति विभाग के संपूर्ण मध्य प्रदेश में संचालित कन्या बालक आश्रम को चालू करने के लिए पत्र लिखा

मध्य प्रदेश / ग्वालियर

मध्य प्रदेश शासन अनुसूचित जाति विभाग के संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिलों में संचालित अनुसूचित जाति वर्ग के कन्या और बालक आश्रम जो 50 सीटर से लेकर 100 सीटर के थे जिनमें अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब परिवार के छात्र-छात्राएं अध्ययन करते थे मध्य प्रदेश शासन ने अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब परिवारों के छात्र निशुल्क सुविधाओं का लाभ न ले सके इसी उद्देश्य को लेकर अनुसूचित जाति वर्ग के कन्या और बालक आश्रमों को बंद कर दिया गया इन आंशुओं में कक्षा 1 से लेकर का चार्ट तक के छात्र निशुल्क योजनाओं का लाभ लेते थे आश्रमों को बंद करके शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2014 का भी उल्लंघन किया गया है वर्ष 2016 में बंद कर दिये है आश्रम भवन आज भी यथा स्थिति में है स्टाफ भी विभाग में है फिर भी आश्रमों को बंद कर दिया गया इन आश्रमों में कक्षा 01 से 08 तक के छात्र छात्राएं शासन की ओर से मिलने वाली योजनाएं जिनमें निशुल्क शिक्षा शिक्षा निशुल्क आवासीय व्यवस्था निशुल्क भोजन व्यवस्था से वंचित हो चुके हैं और साथ ही साथ अनिवार्य शिक्षा नीति का भी उल्लंघन किया गया है इन बंद किए गए आश्रमों को चालू करने के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग छात्रावास आश्रम शिक्षक अधीक्षक संघ (कसस) के संस्थापक प्रांत अध्यक्ष डॉ जवर सिंह



अग्र ने ग्वालियर से सांसद भारत सिंह कुशवाह जी को बंद किए आश्रमों को चालू करने के लिए समझ में मिलकर निवेदन कर पत्र सौंपा गया था जिस पर से माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी सांसद ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र ने मध्य प्रदेश शासन अनुसूचित जाति विभाग के मंत्री नागेन्द्र सिंह चौहान को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं ज्ञात रहे की भारत सिंह कुशवाहा जी ने विधायक रहते हुए भी आश्रमों को चालू करने के लिए पत्र लिखा है जब मंत्री थे तब भी शासन को पत्र लिखा है की आश्रम को चालू किए जाएं लेकिन शासन की ओर से बंद किए गए आश्रमों को अभी तक चालू नहीं किए गए